न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/19/2019	21–05–2019	14–08–2019

1– बजरंग पुत्र श्री लखजीराम जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
2– सुमित्रा पुत्री श्री लखजीराम जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
3– जितेन्द्र पुत्र श्री सुरेन्द्र पौत्र लखजीराम जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
4– सुशीला पत्नी सुरेन्द्र पुत्रवधू श्री लखजीराम जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
5– फतेह सिंह पुत्र पुत्र श्री सुरेन्द्र पौत्र लखजीराम जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1– सुल्तान सिंह पुत्र श्री धनसी राम जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।
2– तहसीलदार नीमराना जिला अलवर।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री अशोक कुमार मुदगल –वकील प्रार्थीगण
02. श्री महेश कुमार यादव –वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी बजरंग वगै0 बनाम सुल्तान सिंह वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके साथ धारा 212 आरटीएक्ट प्रा0पत्र भी पेश किया हुआ है। उक्त प्रकरण में दिनांक 16.05.2019 की तारीख पेशी वास्ते बहस नियत थी। जिस दिन बहस ना होने के कारण दिनांक 21.05.2019 आगामी पेशी नियत कर दी गई। अप्रार्थी सं. 1 ने गांव के मौजिज व्यक्तिओं के सामने यह ऐलानिया कहां कि हमारी पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गई है और मुकदमें का फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट खारिज होगा। हम प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की बिलकुल उम्मीद नहीं है। अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से मिली भगत है और अप्रार्थीगण को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में भी आते जाते देखा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से स्पष्ट जाहिर होता है कि वह उक्त मुकदमें में –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

निस्पक्ष न्याय नहीं करेंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन वाद उनवान बजरंग वगै0 बनाम सुल्तान सिंह वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा0पत्र में निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 16.05.2019 को पत्रावली तनकीयात में नियत थी। बहस में नियत नहीं थी। प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्य झूठे एवं बेबुनियाद है। अतः प्रा0पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि दिनांक 16.05.2019 को पत्रावली तनकीया में नियत थी ना की बहस में एवं दिनांक 21.05.2019 को वकुलाय द्वारा कार्य स्थगित कर रखा था। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्य अंकित किये है। न्यायालय हाजा द्वारा विधि अनुरूप ही कार्य किया जाता है। प्रार्थी द्वारा पेश सभी आरोप बनावटी व मनगढंत है। फिर भी प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में पत्रावली मुन्तकिल करने के संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताया गया है तथा किसी स्वतन्त्र व्यक्ति के साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अतः प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14–08–2019 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/08/19

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)